

State Project Livelihood College Society Recruitment Rules

1. Officers of State Project Livelihood College Society (SPLCS).-- Officers of SPLCS, having professional competence in the areas listed and fulfilling the qualifications, experience and other recruitments as listed, shall be as below:

- (a) top level administration, for which a member of an All India Service shall be appointed by the State Government in the General Administration Department as the Chief Executive Officer :

Provided that in case the State Government does not post or designate an officer as the Chief Executive Officer for State Project Livelihood College or State Project Livelihood College Society, the Chief Executive Officer shall be appointed by SPLCS on terms and conditions approved by the Governing Council.

- (b) mid-level management or administration, for which a person with at least 15 years' management/ administrative experience, including at least eight years at the middle (or higher) management level and at least three years' relevant experience in an organisation whose work is of core relevance to SPLCS's work shall be appointed as the Additional Chief Executive Officer;
- (c) mechanical or manufacturing or industrial engineering, for which a person with a Bachelor of Technology or a Bachelor of Engineering and having industry experience relevant to the field of skill development, or a Master of Technology or a Master of Engineering degree and having regulatory or academic or accrediting body experience relevant to the field of skill development, and at least three years' relevant work experience shall be appointed as Deputy Chief Executive Officer (Skill Training);
- (d) finance work accountancy, for which a person with a Master of Business Administration or equivalent degree, or one who has successfully cleared the Indian Cost Work Accountancy Institute's final examination, and having at least three years' relevant work experience shall be appointed as Deputy Chief Executive Officer (Finance & Costing);
- (e) economics or statistics or commerce, for which a person with a postgraduate degree in either subject, and having at least three years' relevant work experience shall be appointed as Deputy Chief Executive Officer (Planning, Monitoring & Programme Evaluation); and
- (f) information technology, for which a person with a Bachelor of Technology or a Bachelor of Engineering degree in computer science or computer engineering or information technology, or a Master in Computer Applications degree, and having at least two years' relevant work experience, shall be appointed as Deputy Chief Executive Officer (Information Technology).

2. **Personal support staff SPLCS.**-- These shall include Executive Assistants (Stenographer cum Personal Assistants) and Office Helpers (analogous to a Class IV employee in the State Government).

3. **Secretarial support.**--For general secretarial support for SPLCS office, a secretarial pool shall be maintained in the form of Office Assistants, who shall be graduates and proficient in word processing and keyboarding (typing) on computers, and Office Helpers.

4. **Officers of Livelihood Colleges under District Project Livelihood College (DPLC):** Officers of DPLC, having professional competence in the areas listed and fulfilling the qualifications, experience and other requirements as listed, shall be as designated below:

(a) Collector shall be *ex-officio* Chairperson of DPLC, and the Chief Executive Officer of Zila Panchayat shall be the *ex-officio* Director of DPLC;

(b) Masters in Business Administration or Bachelor of Engineering in mechanical or manufacturing or industrial engineering, and having experience of skill development of three years or having industry experience of five years, shall be appointed as the principal of Livelihood College in the districts where Livelihood Colleges are not collocated with the ITI or polytechnic:

Provided that the Chief Executive Officer of SPLCS may entrust the charge of the principal of any Livelihood College to an officer of the State Government, notwithstanding anything stated above;

(c) Masters in Business Administration or Bachelor of Engineering in mechanical or manufacturing or industrial engineering, and having experience of skill development of two years or having industry experience of three years shall be appointed as Assistant Project Officer(APO) of Livelihood College, in districts where Livelihood colleges are collocated with the ITI or polytechnic:

Provided that the Chief Executive Officer of SPLCS may entrust the charge of Assistant Project Officer of any Livelihood College to an officer of the State Government, notwithstanding anything stated above;

5. **Other staff of DPLC:**

(a) Accountant(s) shall be appointed in Livelihood Colleges, and s/he shall either hold a postgraduate degree in Commerce or shall have having cleared the Indian CostWork Accountancy Institute's final examination.

(b) A woman shall be appointed as a Superintendent-cum-office assistant for the girl's hostel, and she shall be a graduate and be proficient in word processing and keyboarding (typing) on computer. She shall also perform on a part-time basis the duties of an office assistant, alongside her responsibilities in respect of the girl's hostel.

(c) Secretarial support.--For general secretarial support for Livelihood College, a secretarial pool shall be maintained in the form of Office Assistant(s), who shall be a graduate and be proficient in word processing and keyboarding (typing) on computer, and additionally, Office Helpers (analogous to a Class IV employee in the State Government).

6. Posts of DPLCs shall be district-specific and non-transferable. Any and all posts and employees (as the case may be) of DPLCs shall be deemed to be the posts and employees of the society that shall be registered for the corresponding Livelihood College and the same shall stand automatically transferred along with all dues and claims, to such society from the date of its registration.

7. Qualifications, experience and other requirements.-- The qualifications, experience and other requirements for officers shall be as listed in Rules 1 and 4 above, provided that these may be modified or added to with the approval of the Executive Committee of the Governing Body of SPLCS. The selection process for all aforementioned contractual employees, and the qualifications, experience and other requirements for personnel listed in Rules 2, 3 and 5 above, shall be as specified in Annex, and shall be subject to such modifications or additions as may be decided by the Executive Committee of the Governing Body of SPLCS from time to time.

8. Scheme/project-specific personnel, consultants, and engagement of professionals.—

1. Besides engaging regular personnel, SPLCS may engage scheme/project-specific personnel and consultants, as well as professionals for specific professional services on payment of a retainer and/or professional fess, provided that they are not paid out of the grants-in-aid given from the general budget of the State Government to SPLCS but from funds specifically provided for under a scheme or project. The scales of payment, the duration of engagement, and the deliverables or terms of reference for persons so engaged shall be decided by the Executive Committee, subject to any conditions stipulated by the scheme/project fund-giving entity and the availability of funds. Other provisions relating to their selection, appointment, emoluments etc. shall be as in the case of regular personnel.

2. As in the case of SPLCS, the DPLC (including the corresponding society) shall be competent to engage scheme/projectspecific personnel, for which the Chairperson of DPLC (Collector) shall make appointments on the lines provided for in the case of SPLCS, and on the basis of recommendations made by a selection committee comprising the Principal/Assistant Project Officer (who shall be the secretary to the committee), the Chief Executive Officer of Zila Panchayat (who shall chair the committee), and the District Employment Officer.

9. Appointing authority and selection process.—

1. The Chief Executive Officer (CEO) of SPLCS shall be the appointing authority for all personnel of SPLCS (other than the CEO herself/himself). CEO, SPLCS shall also be the authority in charge of the selection process for the staff of DPLC mentioned in Rules 4(b), 4(c) and 5(a) above. The names of the selected candidates shall be communicated by the SPLCS to Chairperson of DPLC, for appointment by the DPLC (including the corresponding society). She or he shall make appointments on the basis of recommendations made by a selection committee comprising of one officer of SPLCS nominated by the Chief Executive Officer (higher in rank to the position for which the selection is to be made) or one member co-opted from among the members of the Executive Committee of the Governing Body of SPLCS, one representative of the Department of Manpower Planning in the State Government (not lower in rank than a Deputy Secretary) and one representative of the Finance and Planning Department in the State Government (not lower in rank than a Deputy Secretary). The SPLCS officer or the Executive Committee member, as the case may be, shall be the convener-cum-secretary to the selection committee. Selections shall be made after openly inviting applications through advertisement published in at least two newspapers and on the SPLCS website, and after complying with any requirement under the Compulsory-Notification of Vacancies Act,1959 (31 of 1959) for notifying the Employment Exchange / Employment and Self-employment Guidance Centre.

2. Chairperson, DPLC (Collector) shall be the appointing authority for the positions specified in Rules 5(b) and 5(c) above. Appointment shall be based on recommendations made by a selection committee comprising the Principal/Assistant Project Officer (who shall be the secretary to the committee), the Chief Executive Officer of Zila Panchayat (who shall chair the committee), and the District Employment Officer. The Chairperson of DPLC may also include any other officer in the selection committee.

10. **Engagement of retired or serving government employees.--** Retired employees of the Government of India or of a State or a Union Territory, or of their public sector undertaking, or of any other body established or controlled or fully or substantially financed by such Government, may be appointed to any position at the instance of the Chief Executive Officer of SPLCS, with emoluments equal to the last salary drawn minus pension, and no advertisement shall be necessary in such a case, although recommendation of the selection committee, after satisfying itself as to the suitability of the candidate and fulfilment of qualifications, experience and any other requirements for the position, shall be necessary. Serving employees of Governments, undertakings and bodies as aforesaid may also be appointed on deputation in like manner, on emoluments and terms mutually agreed to between SPLC and the parent organisation of such employee. However, a serving employee selected through an open recruitment process may be offered deputation on emoluments and terms as advertised. All persons engaged as above shall be entitled to travelling allowance as per rules applicable to State Government employees from time to time.

11. **Duration of engagement.--** All persons engaged on contract as above, except for the Chief Executive Officer, shall be engaged through contract, for a period of three years, extendable by a further period of upto one year, with indexation of emoluments at the time of extension as per dearness allowance increases allowed to State Government employees during the initial three-year period.

12. **Reservations.--** Provisions for reservation in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon aur Anya Pichhde Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (21 of 1994) and the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1995) shall be complied with.

ANNEX

शीर्ष	विवरण
<p>पद चयन प्रक्रिया</p> <p>साक्षात्कार समिति</p>	<p>उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कौशल प्रशिक्षण)</p> <p>आवेदन केवल ऑनलाईन रीति से प्राप्त किए जायेंगे। पात्र आवेदकों की अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी। प्रावीण्यता के आधार पर पद की संख्या के प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए 10 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 50 होंगे। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर प्रावीण्यता के आधार पर चयन सूची बनाई जायेगी। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन सूची अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, तकनीकी शिक्षा - अध्यक्ष 2. संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा नामित अर्हताकारी इंजीनियरिंग ब्रांच का विषय-विशेषज्ञ 3. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
<p>पद चयन प्रक्रिया</p> <p>साक्षात्कार समिति</p>	<p>उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (योजना, अनुवीक्षण एवं कार्यक्रम मूल्यांकन)</p> <p>आवेदन केवल ऑनलाईन रीति से प्राप्त किए जायेंगे। पात्र आवेदकों की अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी। प्रावीण्यता के आधार पर पद की संख्या के प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए 10 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 50 होंगे। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर प्रावीण्यता के आधार पर चयन सूची बनाई जायेगी। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन सूची अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, तकनीकी शिक्षा - अध्यक्ष 2. संचालक, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ 3. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ़
<p>पद चयन प्रक्रिया</p>	<p>उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी)</p> <p>आवेदन केवल ऑनलाईन रीति से प्राप्त किए जायेंगे। पात्र आवेदकों की अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी। प्रावीण्यता के आधार पर पद की संख्या के प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए 10 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 50 होंगे। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत</p>

<p>साक्षात्कार समिति</p>	<p>एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर प्रावीण्यता के आधार पर चयन सूची बनाई जायेगी। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन सूची अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, तकनीकी शिक्षा - अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष, चिप्स, रायपुर 3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई. सी), नया रायपुर
<p>पद चयन प्रक्रिया</p>	<p>प्राचार्य, लाईवलीहुड कॉलेज सहायक परियोजना अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज</p> <p>आवेदन व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) छत्तीसगढ़ द्वारा ऑनलाईन रीति से जिलावार प्राप्त किए जायेंगे। पात्र आवेदकों की व्यापम द्वारा 90 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की “एनालिटिकल रीज़निंग एंड क्वान्टिटेटिव एबिलिटी टेस्ट” हेतु लिखित परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस आई.आई.एम. रायपुर से परामर्श कर तैयार किया जायेगा, जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के अनुमोदन उपरांत व्यापम को उपलब्ध कराया जायेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर जिलेवार प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी। प्रावीण्यता के आधार पर पद की संख्या के प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर जिलेवार प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी, जिसके आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जायेगा। चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार का 60 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही अंतिम रूप से चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन सूची अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।</p> <p>साक्षात्कार समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर - अध्यक्ष 2- संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी शिक्षा, रायपुर (संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा नामांकित) 3- प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक (संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा नामांकित) <p>(नियोक्ता प्राधिकारी साक्षात्कार समिति में अन्य अधिकारी को भी सम्मिलित कर सकते हैं।)</p>
<p>पद निर्धारित अर्हताएं</p>	<p>कार्यकारी सहायक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातक उत्तीर्ण, एवं 2- केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, शीघ्र लेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए

	<p>अंग्रेजी शीघ्रलेखन की परीक्षा (100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा के साथ) उत्तीर्ण (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी), एवं</p> <p>3- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद्, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल शीघ्रलेखक (हिंदी) के लिये हिंदी में एवं शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये अंग्रेजी में (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी), एवं</p> <p>4- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में शीघ्रलेखक के रूप में कार्यालयीन कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।</p> <p>राज्य कार्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। पात्र पाये गये आवेदकों को कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जायेगा। शीघ्रलेखन (हिन्दी/अंग्रेजी) 100 शब्द प्रति मिनट की गति की कौशल परीक्षा 45 अंकों की होगी। हिन्दी/अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. द्वारा ली जायेगी। दोनों कौशल परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी, एवं प्रावीण्यता के आधार पर पद की संख्या के प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे। प्रति पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिये जावेंगे, अनुभव के लिए अधिकतम अंक 5 होंगे। कौशल परीक्षाओं, अनुभव एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जायेगा। ओवरऑल प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। चयन सूची अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।</p> <p>चयन समिति ही साक्षात्कार समिति होगी।</p>
<p>चयन प्रक्रिया</p> <p>साक्षात्कार समिति</p> <p>पद निर्धारित अर्हताएं</p> <p>चयन प्रक्रिया</p>	<p>कार्यालय सहायक</p> <p>1- केन्द्र शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं</p> <p>2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद्, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) एवं</p> <p>3- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड- 3 या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>राज्य कार्यालय के पद हेतु राज्य कार्यालय एवं जिला कार्यालयों के पद हेतु जिला</p>

कार्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। पात्र पाये गये आवेदकों को कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जायेगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कार्यालयीन पत्राचार, नोटशीट, प्रेजेन्टेशन, गणना आदि के ज्ञान के संबंध में कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. द्वारा ली जायेगी। कौशल परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी एवं प्रावीण्यता के आधार पर पद की संख्या के प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे। कौशल परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। राज्य कार्यालय के पदों पर चयन हेतु चयन सूची को अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे। डीपीएलसी के पदों पर चयन हेतु चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, डीपीएलसी को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।

साक्षात्कार समिति

चयन समिति ही साक्षात्कार समिति रहेगी।

पद

निर्धारित अर्हताएं

लेखापाल

1- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या आई.सी.डब्ल्यू.ए.संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण, एवं
2- छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान या केंद्र/राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में या पंजीकृत चार्टर्ड एकाऊंटेंट प्रतिष्ठान से लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।

चयन प्रक्रिया

विज्ञापन जारी कर जिलेवार आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे। पात्र आवेदकों की कौशल परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जावेगी। लेखा संबंधी कार्यालयीन कार्यों के ज्ञान के मूल्यांकन हेतु कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा। टेली संबंधी ज्ञान के लिए कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी, जिसे शासकीय पॉलीटेक्निक द्वारा लिया जावेगा। कौशल परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर जिलेवार प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी तथा प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए पद की संख्या के 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे। कौशल परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर बनाई गई जिलेवार प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। चयन सूची अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज

<p>साक्षात्कार समिति</p>	<p>सोसायटी चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी 2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त), राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, तकनीकी शिक्षा (नियोक्ता प्राधिकारी साक्षात्कार समिति में अन्य अधिकारी को भी सम्मिलित कर सकते हैं।)
<p>पद निर्धारित अर्हताएं</p> <p>चयन प्रक्रिया</p>	<p>अधीक्षक-सह-कार्यालय सहायक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातक उत्तीर्ण, एवं 2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद्, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी), एवं 3- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड- 3 या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। <p>जिला कार्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कर महिला आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। पात्र पाये गये आवेदकों को कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जायेगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी। कार्यालयीन पत्राचार, नोटशीट, प्रेजेन्टेशन, गणना आदि के ज्ञान के संबंध में कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. द्वारा ली जायेगी। कौशल परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर जिलेवार प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी तथा प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए पद की संख्या के 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस/होमगार्ड/केन्द्रीय पुलिस बल/सेना के 1 वर्ष अथवा उससे अधिक के अनुभव के लिए 10 अंक दिये जावेंगे। कौशल परीक्षाओं, अनुभव एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन में आरक्षण रोजर का पालन किया जायेगा। चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, डीपीएलसी को प्रेषित किया जायेगा। कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, डीपीएलसी चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।</p> <p>चयन समिति ही साक्षात्कार समिति होगी।</p>
<p>साक्षात्कार समिति</p>	<p>कार्यालय हेल्पर</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से दसवीं न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, एवं 2- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक

चयन प्रक्रिया

उपक्रम, निगम, मंडल में 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा एल.एम.व्ही. का स्थायी लायसेंस धारी हो।

नोट :- कार्यालय हेल्पर को कार्यालयीन कार्यों में सहयोग के साथ साथ आवश्यकतानुसार सिक्योरिटी एवं वाहन चालन के भी कार्य अपेक्षित हैं।

राज्य कार्यालय के पदों हेतु राज्य स्तर पर तथा जिला कार्यालयों के पदों हेतु संबंधित जिला कार्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। पात्र आवेदकों की निर्धारित अर्हता के अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी। प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए पद की संख्या के 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 25 होंगे। आवेदक के एल.एम.वी. स्थाई लाईसेंसधारी होने पर 10 बोनस अंक दिये जावेंगे। साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा बोनस अंक को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। राज्य कार्यालय के पदों पर चयन हेतु चयन सूची को अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे। डीपीएलसी के पदों पर चयन हेतु चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, डीपीएलसी को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।

साक्षात्कार समिति

चयन समिति ही साक्षात्कार समिति होगी।